

झारखण्ड सरकार  
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी,  
गोड्डा एवं रामगढ़, झारखण्ड।  
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

/स्वा०,राँची,दिनांक : 22-01-2026

विषय: स्थापना व्यय मुख्य शीर्ष 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य 02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ-अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ- 101-आयुर्वेद- 31-आयुष निदेशालय एवं संयुक्त औषधालय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 के व्यय हेतु कुल ₹ 18,40,000/- (अठारह लाख चालीस हजार) का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक बजट शीर्ष 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य के अन्तर्गत निम्नांकित विवरण में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष के अधीन Online आवंटन के विवरणी के अनुसार आवंटन संसूचित किया जाता है:-

| क्र० | मांग संख्या/ मुख्य शीर्ष                       | उप मुख्य शीर्ष                                    | लघु शीर्ष/ उपशीर्ष                                | आवंटित राशि                          |
|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1    | 2                                              | 3                                                 | 4                                                 | 5                                    |
| 1.   | मांग संख्या-20/2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य | 02-शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ- अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ | 101-आयुर्वेद- 31-आयुष निदेशालय एवं संयुक्त औषधालय | ₹ 18,40,000/- (अठारह लाख चालीस हजार) |

2. आवंटित राशि की निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561(वि) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक 1800 दिनांक 15.07.03 तथा 1681/वि० दिनांक 10.06.2015 के अनुसार होगी।

3. आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी होंगे (संलग्न विवरणी के अनुसार) एवं नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची होंगे।

4. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र पर संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करेंगे। वे इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र पर अंकित करेंगे की विपत्र में निहित राशि की निकासी बजट उपबंध एवं आवंटित राशि के अधीन की जा रही है एवं राशि की निकासी के लिए वे स्वयं सक्षम पदाधिकारी हैं। प्रत्येक विपत्र के साथ आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न की जायेगी।

5. आवंटित राशि के मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष/उपशीर्ष/विस्तृत शीर्ष का मुहर तैयार कर विपत्र पर अंकित करेंगे ताकि महालेखाकार कार्यालय द्वारा लेखा संधारण में किसी प्रकार की भूल न हो सके।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का दायित्व होगा कि स्थापना व्यय, राज्य योजना एवं एन०एच०एम० से आवंटित राशि का लेखा संधारण अलग-अलग रखेंगे।

(अनन्त कुमार)  
सरकार के उप सचिव

(सीमा कुमारी उदयपुरी)  
सरकार के संयुक्त सचिव

(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

7. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

8. आवंटित राशि का व्यय विवरणी अगले माह सात तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराई जाए।

9. राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जाएगी।

10. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व होगा कि वे राशि की निकासी करने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि कर्तव्य से लंबी अवधि से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित एवं अवैध रूप से नियुक्त कर्मियों के वेतनादि की निकासी नहीं की जा रही है तथा जिस राशि की निकासी की जा रही है वह सही है एवं इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गई है। किसी भी प्रकार के अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा। बकाये वेतनादि के भुगतान में विशेष सर्तकता बरती जाय एवं कर्तव्य अवधि से संतुष्ट होकर ही बकाये का भुगतान किया जाय।

11. राशि के निकासी के पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि वित्त विभागीय परिपत्रों के आलोक में दावे की जाँच कर ली गई है तथा अनुमान्यता के तहत राशि की निकासी वित्त विभाग के निर्देशों का अनुपालन करते हुए की जा रही है। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि इकाईवार व्यय संबंधित इकाई में आवंटित राशि के अन्तर्गत है। अधिक व्यय होने पर इसकी पूरी जवाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

12. क्रय संबंधी सभी कार्य वित्त विभागीय निर्देशों के अनुरूप यथा नियम एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया जाय।

13. आयुष निदेशालय, राँची द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मियों की संख्या के आलोक में कार्यरत कर्मियों की संख्या विवरणी के आंकड़ों की वित्त विभाग के COBT - Form 3A में की गई प्रविष्टि के आधार पर वित्त विभाग के द्वारा आवंटन उपलब्ध कराया गया है। उक्त के अनुरूप ही विभाग द्वारा आवंटन निर्गत किया जा रहा है। अतः COBT-Form 3A के प्रपत्र में अंकित कर्मियों के विवरणी के अनुरूप ही इस आवंटन का व्यय किया जाए।

यदि इस वित्तीय वर्ष में नई नियुक्ति की गई हो तो Form 3A में सूचना विभाग को सूचनाएँ उपलब्ध कराया जाए ताकि अनुपूरक बजट के माध्यम से नवनियुक्त कर्मियों के वेतनादि के लिए राशि की व्यवस्था की जा सके।

14. वित्त विभागीय पत्र संख्या- 69/बजट दिनांक 11.02.2013 के आलोक में विद्युत विपत्रों के भुगतान की कार्यवाई की जाय। परिवहन भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में निर्गत वित्त विभाग के पत्र संख्या- 3558/वि0 दिनांक 19.12.2013 के आलोक में कार्यवाई सुनिश्चित की जाय।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस आवंटित राशि की निकासी के लिए निम्नांकित नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

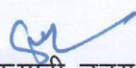
- चिकित्सा निरीक्षक (आयुर्वेद), झारखण्ड राज्य आयुष चिकित्सा परिषद, झारखण्ड, राँची / संबंधित जिला आयुष चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक माह के 20 तारीख से अगले माह के 20 तारीख तक की अनुपस्थिति विवरणी के आधार पर प्रत्येक माह का विपत्र माह की 25 वीं तारीख तक वेतन विपत्र कोषागार में भेजना सुनिश्चित करेंगे। वेतनों की ससमय निकासी नहीं होने के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी जिम्मेवार होंगे।

70(7) अ  
22-01-2026



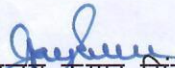
(अनन्त कुमार)

सरकार के उप सचिव



(सीमा कुमारी उदयपुरी)

सरकार के संयुक्त सचिव

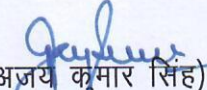


(अर्जुन कुमार सिंह)

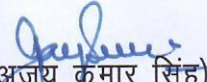
अपर मुख्य सचिव

- ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि Ghost Employee/अवैध रूप से नियुक्त कर्मी के वेतन की निकासी नहीं हो। ऐसे किसी अवैध निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे।
- iii) वेतन मद की राशि से 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया जाए। यदि 15.11.2000 के पूर्व की बकाया राशि का भुगतान लंबित हो तो इस संबंध में आवंटन का प्रस्ताव अलग से उपलब्ध कराया जाए।

विश्वासभाजन

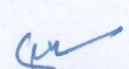
  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

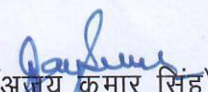
ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-09/2023 70(7)B / स्वा0,राँची,दिनांक- 22-01-2026  
प्रतिलिपि:- महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक- 7/स्थापना व्यय-आवंटन-09/2023 70(7)B / स्वा0,राँची,दिनांक- 22-01-2026  
प्रतिलिपि:- संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/निदेशक आयुष, झारखण्ड, राँची/  
संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।  
प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त  
सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

  
(अनन्त कुमार)  
सरकार के उप सचिव

  
(सीमा कुमारी उदयपुरी)  
सरकार के संयुक्त सचिव

  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

पूर्व में निर्गत आवंटन की विवरणी

| क्रमांक | प्राथमिक इकाई | पूर्व में आवंटित राशि | आवंटित राशि | कुल आवंटित राशि |
|---------|---------------|-----------------------|-------------|-----------------|
| 1       | वेतन          | 200534000             | 1840000     | 202374000       |
|         | कुल           | 200534000             | 1840000     | 202374000       |

आवंटन का सारांश

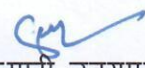
| क्रमांक | प्राथमिक इकाई | विपन्न कोड           | आवंटित राशि |
|---------|---------------|----------------------|-------------|
| 1       | वेतन          | 20S22100210131000101 | 1840000     |
|         | कुल           |                      | 1840000     |

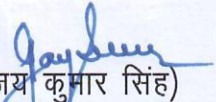
कुल: ₹ 18,40,000 /— (अठारह लाख चालीस हजार)।

जिलावार, मदवार आवंटित राशि की विवरणी

| क्रमांक | संस्थान/जिला का नाम | वेतन    | कुल योग |
|---------|---------------------|---------|---------|
| 1       | गोड्डा              | 601000  | 601000  |
| 2       | रामगढ़              | 1239000 | 1239000 |
|         | कुल                 | 1840000 | 1840000 |

  
(अनन्त कुमार)  
सरकार के उप सचिव

  
(सीमा कुमारी उदयपुरी)  
सरकार के संयुक्त सचिव

  
(अजय कुमार सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

70(7)✓

22-01-2026

**वित्तीय वर्ष 2025-26 में आवंटित राशि की विवरणी :-**

माँग सं० - 20 स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

मुख्य शीर्ष-2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य & 02 - शहरी स्वास्थ्य सेवाएं - अन्य चिकित्सा पद्धतियां & 101 - आयुर्वेद & 31 - आयुष निदेशालय एवं संयुक्त औषधालय

| SI No | TREASURY | DDO CODE  | DDO NAME                | DDO DESG                       | 20S22100210131000101  | Total         |
|-------|----------|-----------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|
| 1     | 2        | 3         | 4                       | 5                              | 6                     | 7             |
| 1     | Godda    | GDDMED026 | Intakhab Ahmad Farooqui | Dist. Ayu. Med. Officer, Godda | ₹6,01,000.00 (86757)  | ₹6,01,000.00  |
| 2     | Ramgarh  | RGHMED036 | Dr Prabhu Narayan Jain  | Dist Ayush Medical Officer     | ₹12,39,000.00 (86759) | ₹12,39,000.00 |

**कुल आवंटित राशि :- ₹18,40,000.00 ( अठारह लाख चालीस हजार ) रुपये मात्र ।**

**टिप्पणी :- (#) को आवंटन एक्सेस नंबर समझा जाए**

(AJOY KUMAR SINGH)  
ADDITIONAL CHIEF SECRETARY

70(7) व

22-01-2026